

भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र माखुपूरा औद्घोगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area अजमेर.—305 002 (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 34RAJ01001

संख्या : RAJ/AJM-315/LEAD-ZINC-01

दिनांक : 09.10.2018

प्रेषित: खान एजेंट,

कायड़ लेड जिंक माइन,

मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमटेड, पोस्ट ऑफिस - कायड़ गाँव, जिला —अजमेर (राज.) 305023

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Kayad** Lead Zinc Mine (Lease area 480.45 Ha.) in Ajmer District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 17.09.2018 by the undersigned in presence of Sh. Sandeep B. Narade, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified
	Mining Plan (Approved on 03.11.2017) for the year 2017-18:
	1) Plantation for the year 2017-18 has not been carried out as per approved proposal.
Rule 31(4)	Plans & sections required to be kept under rule 32 have not been maintained up to date within three
	months.
Rule 45(7)	In annual return 2017-18 following descripencies were observed:
	1) Ex mine price of the ore produced shown Rs. 1370 in item no. 2 of Part VI whereas cost
	of production shown Rs. 4050 under item cost of production in Part VII.
	2) Zero amount has been shown under taxes in cost of production in Part VII.
Rule 47	Notice of sinking of bore holes for the year 2018-19 in Form-I have not been submitted.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(डी. आर. गुर्जर) सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर।
- 4 रक्षित पत्रावली।